राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या– प0नि0 30–73/2026..........3192

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन, आयोग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

सचिव,
पंचायती राज विभाग,
बिहार, पटना।

पटना दिनांक–5.8.26

विषय :– श्री रवि सक्सेना द्वारा दिये गए अभ्यावेदन का अग्रसारण के संबंध में।

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक श्री रवि सक्सेना द्वारा जीमेल के माध्यम से पंचायतों का परिसीमन वर्ष 2026 की जनगणना के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया है।

ज्ञातव्य हो कि पंचायती राज विभाग के संकल्प संख्या 10744, दिनांक–20.07.2026 द्वारा निर्गत निदेश के आलोक में पंचायतों का परिसीमन वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर किये जाने का निदेश संसूचित किया गया है।

अतएव श्री सक्सेना द्वारा दिये गए अभ्यावेदन का विषयवस्तु आपके कार्यालय से संबंधित है।

निदेशानुसार अभ्यावेदन की प्रति पत्र के साथ संलग्न करते हुए आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जा रही है।

<u>अनु0–यथोक्त।</u>

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

ज्ञाप संख्या–प0नि0–30–73/2026 3192 दिनांक–5.8.26

प्रतिलिपिः– श्री रवि सक्सेना (ravisaxena30794@gmail.com) को सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त

Gmail

State Election Commission BIHAR <secbihar@gmail.com>

Regarding Panchayat Chunav 2026

1 message

Ravi Saxena <ravisaxena30794@gmail.com>
To: "secbihar@gmail.com" <secbihar@gmail.com>, cm-secretariat-bih@gov.in
Fri, Jul 31, 2026 at 4:35 PM

सेवा में,
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार, पटना
एवं
प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना

विषय: बिहार पंचायत परिसीमन 2026 को स्थगित कर 2026 की जनगणना के आधार पर करने के संबंध में

बिहार सरकार का परिसीमन आदेश पूरे राज्य के लिए अव्यवहारिक और गैर-वैज्ञानिक है। इसके 5 मुख्य तर्क हैं:

1. 2011 पर क्यों? जब 2026 की जनगणना हो ही रही है
2011 से 2026 तक 15 साल का गैप है। इस बीच बिहार की आबादी 10.40 करोड़ से बढ़कर 14 करोड़ + हो चुकी है।
15 साल पुराने डेटा पर सीमा काटना मतलब 2 साल बाद फिर से वही गलती दोहराना।
जब केंद्र सरकार 2026 में नई जनगणना कर ही रही है तो 6 महीने रुक कर उसी के आधार पर परिसीमन क्यों नहीं हो सकता?
इससे एक बार में सही और पक्का परिसीमन होगा।

2. अनावश्यक चुनाव देरी क्यों?
परिसीमन के बाद 3 काम बचे हैं: नई वोटर लिस्ट + नया आरक्षण + आपत्ति निपटारा। इसमें कम से कम 1 साल या इससे अधिक समय लगेंगे।
नतीजा: 2026 का चुनाव सीधे 2027 में जाएगा।

3. वित्तीय दिवालियापन - राज्य पर अतिरिक्त बोझ*
अगर 2500-3000 नए पंचायत बने तो राज्य पर एकमुश्त बोझ:
पंचायत भवन + विवाह भवन + कंप्यूटर + फर्नीचर
और हर साल सचिव, कार्यपालक सहायक, JE, सफाईकर्मी की सैलरी =

बिहार पहले से कर्ज में डूबा है।
ऐसे में 3000 नए पंचायत को फंड, स्टाफ, भवन कौन देगा? नए पंचायत सिर्फ कागज पर बनकर रह जाएंगे।

4. नए पंचायत में सुविधा देने का कोई रोडमैप नहीं*
नया पंचायत मतलब: नया सचिवालय, बिजली, इंटरनेट, बैंक खाता, मोहर, सरकारी वाहन, स्टाफ क्वार्टर।
सरकार के पास इसका कोई प्लान नहीं है। न बजट पास है, न जमीन चिन्हित है।
बिना तैयारी के पंचायत बनाने से जनता को कई साल तक भटकना पड़ेगा।

5. समाधान क्या है? हमारा मांग पत्र*

इसलिए हम पूरे बिहार के हित होना यह चाहिए कि

1. परिसीमन को तुरंत स्थगित किया जाए और 2026 में पुरानी सीमा पर चुनाव करा लिए जाएं।
2. चुनाव के बाद 2026 की जनगणना का डाटा आने पर वैज्ञानिक तरीके से परिसीमन किया जाए*। 2011 का डेटा पूरी तरह रद्द हो।
3. तब तक सरकार पूरा रोडमैप तैयार करे
   - कितने नए पंचायत बनेंगे
   - कहां भवन बनेगा, कितना बजट है
   - स्टाफ कहां से आएगा, ट्रेनिंग कब होगी
4. वित्तीय प्रबंध पहले हो*। बिना फंड और स्टाफ के पंचायत बनाने की घोषणा न हो।
5. नए पंचायत में मिलने वाली सभी सुविधा देने की गारंटी सरकार दे।

निष्कर्ष
परिसीमन का विरोध नहीं है। विरोध है बिना तैयारी, बिना पैसा, बिना डेटा के जल्दबाजी का।
पहले चुनाव, फिर जनगणना, फिर परिसीमन - यही सही क्रम हो सकता है